He Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 12, 2012/ज्येष्ठ 22, 1934

No. 273 NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 12, 2012/JYAISTHA 22, 1934

कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्लो, 12 जून, 2012

सा.का.नि. 441(अ).— केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड एकाउंटेट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 38(अ) दिनांक 19 जनवरी, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या (5) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां जोडी जाएंगी, नामत: :-

"(5) श्री गौतम गुहा - सदस्य" - महानिदेशक (वाणिज्यिक) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यलय, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002

(2) यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. १/) 5/2010 - पी.आई.]

मनोज कुपार, संयुक्त सचिव
टिप्पण:—प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II

के खंड 3 के उप-खंड (1) में दिनांक 19 जनवरी,
2011 को सा. का. नि. 38(अ) द्वारा प्रकाशित की गई
थी और उनमें बाद में सा.का. नि. 684(अ) दिनांक
16 सितम्बर, 2011 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2012

G.S.R. 441(E).— In exercise of the powers conferred by Section 28A of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Ministry of Corporate Affairs, number G.S.R. 38(E) dated the 19th January, 2011.

In the said notification, for serial number (5) and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

- "(5) Shri Gautam Guha, —Member"
 Director General (Commercial),
 Office of the Comptroller &
 Auditor General of India, 9,
 Deen Dayal Upadhyay Marg,
 New Delhi 110 002.
- 2. This notification shall take effect from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No.1/15/2010-P1]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Note: —The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 38(E), dated the 19th January, 2011 and subsequently amended vide number G.S.R 684(E), dated the 16th September, 2011.